न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

मिसल न0– 35(1)/2021

अनवान :–

1. रामजीलाल पुत्र हुन्ताराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुभाष पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. महेन्द्रसिह पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मदनलाल पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–असल गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 24.11.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रशासन गावं के संग अभियान कैम्प थालडका में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 74/15 की कुल 9.3130हैक्‍ भूमि सायलान के नाम बहिव दर्ज है।

रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 49/49 की कुल 2.4790हैक्‍ भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 134/49 की कुल 2.5300हैक्‍ भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज है।

सायलान की कृषि भूमि रोही मौजा चक 1 आरपीएम में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है इसलिये सायलान को भारी परेशानी होती है सायलान गैरसायल की रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 49/49 के प0न0 313/376(15) के किला न0 3/2 की मिन पूर्व 0.013हैक्‍ में से होते हुए सायल न0 2 की भूमि रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 134/49 के प0न0 313/376(15) के किला न0 8 मिन पूर्व की 0.013हैक्‍ भूमि में से होते हुए अपने खेत रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 74/15 के किला न0 13/1 में प्रवेश करते है यही रास्ता सदामत से चालु है इसलिये सायलान उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 49/49 के प0न0 313/376(15) के किला न0 3/2 की मिन पूर्व 0.013हैक्‍ व रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 134/49 के प0न0 313/376(15) के किला न0 8 मिन पूर्व की 0.013हैक्‍ रास्ता स्वीकृत फरमावे सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त गैरसायलान संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायलान को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पैरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

..1

Scanned with CamScanner

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता गैरसायल संख्या 1 ता 2 देने को तेयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः साायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायल अपनी खाातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः साायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाकर गैरसायल संख्या 1 की भूमि रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 49/49 के प0न0 313/376(15) के किला न0 3/2 की मिन पूर्व 0.013हैक व गैरसायल संख्या 2 की रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 134/49 के प0न0 313/376(15) के किला न0 8 मिन पूर्व की 0.013हैक रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायलान रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में प0न0 313/376(15) के किला न0 10 मिन उत्तर की 0.013हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 के चिपती हुई भूमि देगा व प0न0 313/376(15) के किला न0 10 के मिन पूर्व की 0.013हैक भूमि गैरसायल संख्या 2 के चिपती हुए गैरसायल संख्या 2 को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 778 दिनांक 2.12.21

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 सन 2021 निर्णय दिनांक

अनवान :-

अनवान :-

1. रामजीलाल पुत्र हुन्ताराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुभाष पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. महेन्द्रसिह पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मदनलाल पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–असल गैरसायल

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 49/49 के प0न0 313/376(15) के किला न0 3/2 की मिन पूर्व 0.013हैक्ट व गैरसायल संख्या 2 की रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 134/49 के प0न0 313/376(15) के किला न0 8 मिन पूर्व की 0.013हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायलान रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में प0न0 313/376(15) के किला न0 10 मिन उत्तर की 0.013हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 के चिपती हुई भूमि देगा व प0न0 313/376(15) के किला न0 10 के मिन पूर्व की 0.013हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 2 के चिपती हुए गैरसायल संख्या 2 को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner